



2026:AHC:66894-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 413 के तहत आपराधिक अपील संख्या- 159 वर्ष 2026

श्रीमती नीता पांडे और अन्य अपीलकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: प्रखर सरन श्रीवास्तव

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 43

माननीय न्यायमूर्ति श्री सलिल कुमार राय

माननीय न्यायमूर्ति श्री देवेन्द्र सिंह-I

आपराधिक प्रकीर्ण छूट आवेदन पर आदेश संख्या-01 वर्ष 2026

छूट आवेदन की अनुमति है।

अपीलकर्ताओं को अनुलग्नक संख्या-4 और 5 के रूप में संलग्न दस्तावेजों की एक नई प्रति दाखिल करने से छूट दी गई है।

अपील पर आदेश

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता और राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

धारा 413 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत अपील सत्र न्यायाधीश, फिरोजाबाद द्वारा सत्र परीक्षण संख्या-535 वर्ष 2017 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम संजीव कुमार गुप्ता और अन्य) में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 17.12.2025 के खिलाफ दायर की गई है, जो धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 500, 507, 120बी, 34, 182, 186, 187, 193, 195 और 201 भन्ववि०, थाना-टूंडला, जिला फिरोजाबाद के तहत दर्ज केस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराध संख्या-0641 वर्ष 2017 से उत्पन्न है, जिसके तहत विचारण न्यायालय ने प्रतिपक्षी संख्या-2 से 5 को बरी कर दिया है।

अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि 23.7.2017 को, सारिका गुप्ता, प्रतिपक्षी संख्या-3 द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी, जिसमें संदेह था कि संजीव गुप्ता (उसके पति), प्रतिपक्षी संख्या-2, का नीता पांडे और उसके पति प्रदीप पांडे (प्रस्तुत मामले में अपीलकर्ता) और अमित गुप्ता द्वारा फिरौती के लिए अपहरण कर लिया गया था। शिकायत को विचारण न्यायालय में प्रदर्श क-5 के रूप में चिह्नित किया गया था और उक्त शिकायत पर, केस अपराध संख्या-0641 वर्ष 2017 को शुरू में अपीलकर्ताओं और अमित गुप्ता के खिलाफ भ०द०वि० की धारा 364ए, 506, 120बी भ०द०वि० के तहत दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि जांच करने पर, यह पाया गया कि प्रतिपक्षी संख्या-2 - संजीव कुमार गुप्ता का फिरौती के लिए अपहरण नहीं किया गया था, शिकायत झूठी थी और केवल अपीलकर्ताओं को प्रतिपक्षियों की मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करने के लिए दर्ज की गई थी। अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि प्रतिपक्षी संख्या-2, यानी संजीव कुमार गुप्ता, जिसका कथित तौर पर अपहरण कर लिया गया था, को स्वतंत्र अवस्था में बरामद किया गया था और वह भी स्वतंत्र अवस्था में भटकते हुए पाया गया था न कि किसी व्यक्ति की हिरासत में। इसके बाद, उपरोक्त साक्ष्यों के आधार पर, प्रतिपक्षी संख्या-2 से 5 के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 500, 507, 120बी, 34, 182, 186, 187, 193, 195 और 201 भ०द०वि० के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था। मामला सत्र न्यायालय में मुकदमे के लिए सौंपा गया था और प्रतिपक्षी संख्या-2 से 5 के खिलाफ आरोप तय किए गए थे। आरोपियों/प्रतिपक्षियों ने आरोपों से इनकार किया और मुकदमे की मांग की।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए ग्यारह गवाहों से पूछताछ की। सभी ग्यारह गवाहों की गवाही को विस्तार से प्रस्तुत करने का कोई उद्देश्य नहीं होगा और केवल मुख्य साक्ष्य जिस पर अभियोजन पक्ष अपने मामले को साबित करने के लिए निर्भर करता है, पर वर्तमान निर्णय/आदेश में विचार किया जा रहा है।

आगे बढ़ने से पहले, यह ध्यान रखना प्रासंगिक होगा कि प्रतिपक्षी संख्या-3, यानी सारिका गुप्ता द्वारा कथित रूप से दर्ज की गई लिखित शिकायत अ०सा०-1 द्वारा



साबित की गई थी, जो प्रासंगिक समय पर, यानी 23.7.2017 को टुंडला थाना में कांस्टेबल के रूप में तैनात थी। हालांकि अ०सा०-1 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में, गवाह ने कहा कि प्रतिपक्षियों ने उसकी उपस्थिति में लिखित शिकायत पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन धारा 161 द०प्र०स० के तहत अपने बयान में, गवाह ने विवेचनाधिकारी को को ऐसा कोई बयान नहीं दिया। धारा 161 द०प्र०स० के तहत विवेचनाधिकारी को दिए गए अपने बयान में, गवाह ने यह नहीं कहा था कि सारिका गुप्ता शिकायत के साथ थाना-आई थी और उसने गवाह की उपस्थिति में शिकायत पर हस्ताक्षर किए थे। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त तथ्य उसके द्वारा अदालत में पहली बार कहा जा रहा था। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि पूरी जांच के दौरान, उसने विवेचनाधिकारी को यह नहीं बताया कि सारिका गुप्ता ने खुद थाना आकर शिकायत दी थी और गवाह की उपस्थिति में उस पर हस्ताक्षर किए थे। अपने फैसले के प्रस्तर-23 में, विचारण न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि उसकी जिरह में, गवाह ने स्वीकार किया कि उसने सारिका गुप्ता को उसके सामने शिकायत पर हस्ताक्षर करते हुए नहीं देखा था और धारा 161 द०प्र०स० के तहत या किसी पिछले चरण में उक्त तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया है कि अपने साक्ष्य में, गवाह ने आगे कहा कि रोज़नामचा संख्या-52 जिसे विचारण न्यायालय में प्रदर्श क-2 के रूप में चिह्नित किया गया था, को गवाह द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पहले तैयार किया गया था। रोज़नामचा प्रविष्टि में यह उल्लेख नहीं है कि सारिका गुप्ता स्वयं थाना आई और शिकायत प्रस्तुत की और गवाह की उपस्थिति में शिकायत पर हस्ताक्षर किए।

अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए कि प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी थी और बाहरी कारणों से दायर की गई थी, उपनिरीक्षक लाखन सिंह की अ०सा०-6 के रूप में जांच की, जिन्होंने कहा था कि उन्हें होटल सावन महल एनएच-44, जिला पानीपत, हरियाणा में संजीव कुमार गुप्ता की उपस्थिति के बारे में जानकारी मिली थी और उनके साथ कर्मचारियों और सामल खान थाना-के थानाध्यक्ष जितेंद्र सिंह की मदद से उन्हें बरामद किया था। विचारण न्यायालय द्वारा यह नोट किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा यह दावा किया गया था कि संजीव कुमार गुप्ता के स्थान का



पता कांस्टेबल अमित उपाध्याय की मदद से लगाया गया था, जो निगरानी में विशेषज्ञ थे। गवाह ने कहा कि संजीव कुमार गुप्ता से संबंधित होटल सावन महल, पानीपत दिनांक 28.7.2017 का सीसीटीवी फुटेज सीडी और होटल के कर्मचारियों से प्राप्त किया गया था। होटल कर्मचारियों का बयान भी धारा 161 द०प्र०स० के तहत दर्ज किया गया था। गवाह द्वारा कहा गया है कि संजीव कुमार गुप्ता को ठीक करने के बाद, गवाह 1 अगस्त, 2017 को वेव मॉल, नरवाल, जम्मू गया और वेव मॉल के सुरक्षा अधिकारी की सहायता से वेव मॉल का सीसीटीवी फुटेज भी देखा गया। गवाह द्वारा यह कहा गया है कि संजीव कुमार गुप्ता को वेव मॉल के गेट पर सीसीटीवी कैमरे में एक ऑटो-रिक्शा से उतरकर मॉल में प्रवेश करते हुए देखा गया था। उसे टिकट काउंटर पर टिकट खरीदते और लॉबी में घूमते हुए देखा गया था। सीसीटीवी फुटेज में, संजीव कुमार गुप्ता, यानी प्रतिपक्षी संख्या-2 को वेब सिनेमा से निकलकर वेव मॉल के बाहर सड़क पर बस में चढ़ते हुए देखा गया था। गवाह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज को निगरानी विशेषज्ञ कांस्टेबल अमित उपाध्याय और वेव मॉल के सुरक्षा अधिकारी की मदद से हार्ड डिस्क पर सहेजा गया था। विचारण न्यायालय ने कहा है कि उसकी जिरह में, गवाह ने कहा कि वह वह मामले में विवेचनाधिकारी नहीं था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अपनी मुख्य परीक्षा में कोई दस्तावेज साबित नहीं किया और सीसीटीवी फुटेज और सीडी या पेन ड्राइव सहित कोई दस्तावेजी सबूत नहीं था और न ही उक्त साक्ष्य में से कोई भी अदालत में पेश किया गया था। गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि संजीव कुमार गुप्ता की बरामद की गई वसूली रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी और बरामदगी के दौरान मौजूद लोगों के हस्ताक्षर भी प्राप्त नहीं किए गए थे। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि संजीव कुमार गुप्ता के होटल सावन महल, सोनीपत की लॉबी में खड़े होने या वहां से उनकी बरामदगी का कोई अभिलेखों नहीं था जो यह साबित कर सके कि संजीव कुमार गुप्ता को 28 जुलाई, 2017 को होटल से बरामद किया गया था।

अमित उपाध्याय को अ०सा०-6 द्वारा निगरानी विशेषज्ञ के रूप में उल्लिखित किया गया था, जिसकी जांच अभियोजन पक्ष द्वारा अ०सा०-10 के रूप में की गई थी। अपनी गवाही में, अ०सा०-10 ने कहा कि संजीव कुमार गुप्ता को 28.7.2017 को स्वर्ण महल होटल, पानीपत में गिरफ्तार किया गया था और होटल के साथ-साथ वेव मॉल, जम्मू से



सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए थे, जिसकी डीवीडी बनाई गई थी और फुटेज विवेचनाधिकारी को सुरक्षित रूप से प्रदान किया गया था। गवाह ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि सीसीटीवी फुटेज में प्रदर्शित वीडियो में अंतराल थे और उसने अपनी अनुमति से होटल मालिक की उपस्थिति में डेटा बरामद किया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि होटल मालिक की सहमति से संबंधित दस्तावेज अभिलेखों में नहीं थे। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि संजीव कुमार गुप्ता की पहचान एसआई लखन सिंह, यानी अ०सा०-6 द्वारा की गई थी, जिसके साथ गवाह पूरी प्रक्रिया के दौरान गया था। गवाह इस बात का जवाब देने में असमर्थ था कि अ०सा०-6 ने संजीव कुमार गुप्ता की पहचान कैसे की। गवाह ने अपनी जिरह में यह भी स्वीकार किया कि उन्होंने पेन ड्राइव डिवाइस खरीदा था और डेटा एकत्र करते समय ही इसे डीवीआर में डाला था। डीवीआर में डालने से पहले पेन ड्राइव की जांच नहीं की गई थी। डीवीआर जब्त नहीं किया गया था और गवाह द्वारा नहीं लाया गया था। मूल से सीसीटीवी फुटेज के संग्रह/प्रतिलिपि के संबंध में कोई प्रमाण पत्र या सत्यापन दस्तावेज उन्हें होटल या वेब मॉल के मालिक द्वारा नहीं दिया गया था। एकत्र किए गए फुटेज को विवेचनाधिकारी को सौंप दिया गया था। वीडियो के लिए सत्यापन प्रमाण पत्र जिसे गवाह एकत्र करने का दावा करता है और जो वह कहता है कि विवेचनाधिकारी को प्रदान किया गया था, अदालत अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मामले के विवेचनाधिकारी, जिनकी जांच अ०सा०-11 के रूप में की गई थी, ने अपनी जिरह में स्वीकार किया कि केस डायरी और फाइल पर मौजूद अन्य दस्तावेजों में कॉल डिटेल अभिलेखों का उल्लेख नहीं था, जिसके माध्यम से संजीव कुमार गुप्ता के स्थान का कथित तौर पर पुलिस कर्मियों द्वारा पता लगाया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर उन्हें स्वर्ण महल होटल से बरामद किया था। सीडीआर रिपोर्ट को भी केस डायरी में शामिल नहीं किया गया है।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विचारण न्यायालय के फैसले से, जो मामले की जांच में शामिल विभिन्न गवाहों की गवाही का विस्तार से वर्णन करता है, यह स्पष्ट है कि सीसीटीवी फुटेज का कोई बरामगदी फ़र्द तैयार नहीं किया गया था या केस डायरी में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। सीसीटीवी फुटेज को पुनः प्राप्त करने और उनकी



एक प्रति बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पेन ड्राइव या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सील नहीं किया गया था और संबंधित पुलिस कर्मियों द्वारा कोई नमूना सील तैयार नहीं की गई थी। सीसीटीवी फुटेज, जैसा कि निर्णय के प्रस्तर-25 में पाठ से स्पष्ट होगा, भी विवेचनाधिकारी द्वारा नहीं देखा और सत्यापित नहीं किया गया था।

यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी के तहत कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

उपरोक्त सबूतों को देखने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपना निष्कर्ष दर्ज किया कि अभियोजन पक्ष की विफलता या तो सीसीटीवी फुटेज का बरामगदी फ़र्द तैयार करने या उक्त सामग्री को सील करने या यहां तक कि कॉल डिटेल अभिलेखों पेश करने में विफलता जो कथित तौर पर संजीव कुमार गुप्ता के स्थान का पता लगाती है और सीसीटीवी फुटेज को पुनः प्राप्त करने के लिए वेव मॉल या होटल के मालिकों की अनुमति ने भी संदेह पैदा किया कि क्या पुलिस ने संजीव कुमार गुप्ता को बरामद करने के लिए उल्लिखित स्थलों का दौरा किया, यानी प्रतिपक्षी संख्या-2, जिसने बदले में अभियोजन पक्ष की कहानी पर संदेह पैदा किया। हमें विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में सबूतों के आकलन में कोई विकृति या कोई अनुचितता नहीं मिलती है।

इस स्तर पर, यह ध्यान देना प्रासंगिक होगा कि न तो वेव मॉल के मालिक और न ही उस होटल के मालिक जहां से संजीव कुमार गुप्ता को या तो बरामद किया गया था या जहां संजीव कुमार गुप्ता भटकते हुए पाए गए थे और न ही उक्त मॉल या होटल के किसी कर्मचारी से गवाह के रूप में पूछताछ की गई थी ताकि अभियोजन पक्ष के गवाह के दावे की पुष्टि की जा सके कि संजीव कुमार गुप्ता को होटल से बरामद किया गया था और वेव मॉल में घूमते हुए सीसीटीवी फुटेज में भी देखा गया था। अभियोजन पक्ष की उपरोक्त विफलता इस न्यायालय को प्रस्तुत अपील को स्वीकार नहीं करने और अभिलेखों पर मौजूद सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि साक्ष्य साक्ष्य का कोई भी पुनर्मूल्यांकन फलदायी नहीं होगा। विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कोई विकृति नहीं है कि जिस तरह से संजीव कुमार गुप्ता की बरामदगी सुनिश्चित की गई थी, वह संदिग्ध है। हमें उपरोक्त आधार पर अभिलेखों पर मौजूद सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी ध्यान देने योग्य है कि अ०सा०-11 के रूप में अपनी गवाही में, विवेचनाधिकारी ने स्वीकार किया कि धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 500, 507, 120बी भ०द०वि० के तहत उल्लिखित अपराधों के बारे में कोई सबूत नहीं था। विचारण न्यायालय के निष्कर्षों को चुनौती देने के लिए अपील ज्ञापन में कोई आधार नहीं उठाया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षों के बीच किसी भी मौद्रिक लेनदेन को साबित करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया गया था या आरोपी द्वारा अपीलकर्ताओं को धोखा देने या उन्हें पैसे देने के लिए मजबूर करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था।

उपरोक्त कमियों के कारण, विचारण न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा उचित तरीका यहां उल्लिखित धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर करने के बजाय भ०द०वि० की धारा 364ए, 506, 120बी के तहत शुरू में दर्ज प्राथमिकी पर अंतिम रिपोर्ट दाखिल करना था। विचारण न्यायालय ने यह भी नोट किया है कि जिन अपराधों के तहत प्रस्तावित अभियुक्त पर आरोप पत्र दाखिल किया गया था, वे अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं हुए थे और अभियोजन पक्ष पक्षों के बीच अपहरण और मौद्रिक लेनदेन के सिद्धांत को स्थापित करने में विफल रहा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, विचारण न्यायालय ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया और माना कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपने मामले को साबित करने में सक्षम नहीं था।

अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि निष्कर्ष और अभिलेखों पर मौजूद साक्ष्य यह दिखा सकते हैं कि जांच एजेंसी ने दोषपूर्ण जांच की थी और जांच में कोई भी गलती आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकती है। यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त कारण से, अपील को स्वीकार किया जाना है, साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन किया जाना है और आरोपी को दोषी ठहराया जाना है।

हम अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता के तर्क से प्रभावित नहीं हैं। यह दोषपूर्ण जांच का मामला नहीं है। विचारण न्यायालय की कार्यवाही से पता चलता है कि दोनों पक्षों के बीच किसी भी मौद्रिक लेनदेन को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था ताकि आरोपी को धारा 419, 420, 467, 468, 469, 471, 500, 507, 120बी, 34, 182, 186, 187, 193, 195 और 201 भ०द०वि० के तहत दोषी ठहराया जा सके या प्रतिपक्षी संख्या-2 की वसूली के संबंध में अभियोजन की कहानी को स्वीकार किया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हमें विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आकलन में कोई विकृति या कोई अन्य अवैधता नहीं मिलती है। विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक बोधगम्य दृष्टिकोण है और सबूतों पर आधारित है। प्रस्तुत अपील में तथ्य या कानून या विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य के आकलन के संबंध में कोई आधार नहीं उठता है। उपरोक्त सभी कारणों से, हम मामले के अभिलेखों को बुलाने के बाद अपीलकर्ताओं के कहने पर सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करने का मामला नहीं मानते हैं।

अपील को सरसरी तौर पर **खारिज** किया जाता है।

वर्तमान निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय को प्रमाणित करने के बाद फाइल को अभिलेखों में भेज दिया जाए।

मार्च 30, 2026

सत्यम

(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-I)

(न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय)